

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 1978/कार्तिक 15, 1900
No. 213] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 1978/KARTIKA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-81 आई० डी० सी० (वीएर)/78

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1978

विषय:—आयात नीति, 1978-79

संख्या आई० पी० सी०/56/आई० डी० सी०/79/77-78 से जारी.--समय-समय पर
यथासंशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आई. टी. सी. (पीएन)/78,
दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात नीति, 1978-79 की ओर ध्यान दिलाया
जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उचित स्थान पर किए जाएंगे :—

क्रम सं० आयात नीति-1978-79
की पृष्ठ संख्या

सन्दर्भ

संशोधन

परिशिष्ट 3-प्रविष्टि संख्या-271 यह प्रविष्टि हटा दो
(40) पैराक्वेट डाइमैथिल जाएगी।
सल्फेट

का० बे० शेषाद्री

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
तखत राम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 81-ITC(PN)/78

New Delhi, the 6th November, 1978

Subject : Import Policy, 1978-79

No. IPC/56/IDC/79/77-78.—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22 ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978, as amended from time to time.

2. The following amendment shall be made at the appropriate place indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import Policy 1978-79	Reference	Amendment
1.	42	Appendix 3, Entry No. 271 (40)—Paraquat dimethyl sulphate.	This entry shall be deleted.

K.V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports
TAKHAT RAM, Jt. Chief Controller